प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-165/2025 दिनांक 14.06.2025)
दिनांक-14.06.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना का खुलासा, घटना में शामिल 02 अभियुक्त व 02 महिला सहित 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 11/06/2025 को थाना अहिरौली बाजार क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपरही में सत्तार अली पुत्र इशहाक अली साकिन पिपरही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर उम्र 40 वर्ष की रात्रि के अंधेरे में चाकू से मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके संदर्भ में थाना अहिरौली बाजार पर मु0अ0सं0 218/2025 धारा 103(1)/238/3(5) बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार एवं क्षेत्राधिकारी कसया कुशीनगर श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 14.06.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा 03 दिवस के अन्दर घटना का खुलासा करते हुए घटना में सम्मिलित 04 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता 1.गौशे आलम उर्फ मोल्हू पुत्र स्व0 साबिर अंसारी साकिन पिपरही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर 2. मुहम्मद आलम उर्फ सोनू पुत्र स्व0 साबिर अंसारी साकिन पिपरही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर 3.अभियुक्ता रैमुनन्निशा पत्नी स्व0 साबिर अंसारी साकिन पिपरही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर 4.अभियुक्ता जुबैदा पुत्री स्व0 साबिर अंसारी साकिन पिपरही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मृतक सत्तार का अभियुक्ता रैमुन्निशा के साथ 6-7 वर्षों से अवैध प्रेम-संबंध था। जिसके बारे में रैमुन्निशा के परिवार वालों को पता चल गया था। इससे क्षुब्ध होकर रैमुन्निशा और उसके परिवार वालो ने योजना बनाकर दिनांक 11.06.2025 को रात्रि में मदरसे के पास सत्तार की हत्या कर शव को

Edit with WPS Office

कब्रिस्तान में छिपाकर फरार हो गए।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-218/2025 धारा-103(1),238,351(3)/3(5),61(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण—
1. गौशे आलम उर्फ मोल्हू पुत्र स्व0 साबिर अंसारी साकिन पिपरही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. मुहम्मद आलम उर्फ सोनू पुत्र स्व0 साबिर अंसारी साकिन पिपरही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. अभियुक्ता रैमुनन्निशा पत्नी स्व0 साबिर अंसारी साकिन पिपरही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. अभियुक्ता जुबैदा पुत्री स्व0 साबिर अंसारी साकिन पिपरही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-
1- अभियुक्त गौशे आलम की निशानदेही पर एक अदद आला कत्ल रक्तरंजित चाकू।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—
1-प्रभारी निरीक्षक संजय दूबे अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3-उ0नि0 श्री विपिन सिंह थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4- प्रशिक्षु उ0नि0 शुभम कुमार भार्गव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
5.कां0 मनोज यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
6.कां0 सर्वेश यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
7.कां0 विजय यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
8.म0आ0 प्रिया पाण्डेय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
9.म0आ0 निधि त्रिपाठी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.06.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा मु0नं0 1910/2011 धारा 147,323,504,506,153ए,148 भादवि से संबन्धित वारण्टीगण 1.

Edit with WPS Office

सिंहासन पुत्र काशी साकिन जड़हा बरवा पुर्दिल थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर व 2. वकील पुत्र सदीक साकिन जड़हा बरवा पुर्दिल थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर, मु0नं0 1792/2011 धारा 147/504/506/352 भादवि से संबन्धित वारण्टी 3. श्रीकान्त पुत्र कोली साकिन पडरी मेहदिया थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर व मु0नं0 3010 धारा 323/504/506 भादवि से संबन्धित वारण्टी 4. सुदामा पुत्र महात्म साकिन नौरंगिया स्कूल टोला थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0नं0 1910/2011 धारा 147,323,504,506 ,153ए,148 भादवि
2. मु0नं0 1792/2011 धारा 147/504/506/352 भादवि
3. मु0नं0 3010 धारा 323/504/506 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सिंहासन पुत्र काशी साकिन जड़हा बरवा पुर्दिल थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
2. वकील पुत्र सदीक साकिन जड़हा बरवा पुर्दिल थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
3. श्रीकान्त पुत्र कोली साकिन पडरी मेहदिया थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4. सुदामा पुत्र महात्म साकिन नौरंगिया स्कूल टोला थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 रामेश्वर यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 अमित कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 महेन्द्र यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
5. का0 रमेश चौधरी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
6. का0 अशीष सरोज थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
7. का0 धर्मेन्द्र यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
8. का0 जॉनसन गोंड थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

Edit with WPS Office

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.06.2025 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/2025 धारा 105 बीएनएस में वांछित अभियुक्त उमेश बारी पुत्र स्व0 जनक बारी निवासी ग्राम पथरवा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया तथा उसके निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू (गुप्ती) व लकड़ी का फट्टा की बरामदगी की गयी । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-
मु0अ0स0 224/2025 धारा 105 बीएनएस थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
उमेश बारी पुत्र स्व0 जनक बारी निवासी ग्राम पथरवा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-
1. एक अदद चाकू (गुप्ती)
2. एख अदद लकड़ी का फट्टा

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1-प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2-व0उ0नि0 दिनेश कुमार साहनी थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3-उ0नि0 अरसलान अहमद थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
4-हे0कां0 लालमोहन चौहान थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
5-हे0कां0 उमेश राजभर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

थाना खड्डा पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या आदि के मामले में एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

आज दिनांक 14/06/2025 को थाना खड्डा पर आवेदक सिकन्दर पुत्र सदीक अंसारी साकिन रामपुर जंगल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उन्होने अपनी पत्नी उम्र करीब 25 वर्ष जो गर्भवती थी, प्रसव हेतु खड्डा थाना क्षेत्र के ब्रिबान्त हॉस्पिटल में भर्ती कराये थे। ईलाज के दौरान आवेदक की पत्नी व नवजात शिशु की मृत्यु हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खड्डा पर मु0अ0सं0 192/25 पंजीकृत किया गया। थाना खड्डा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुकदमे

Edit with WPS Office

से संबंधित अभियुक्त सैयद मु0 सलमान पुत्र जमाल अहमद साकिन बकडीहा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
अभियुक्त द्वारा गैर पंजीकृत अस्पताल का संचालन किया जा रहा था तथा अभियुक्त स्वयं भी रजिस्टर्ड प्रेक्टिसनर नही है, दिनांक 13/14.06.2025 की रात्रि में गर्भवती महिला का आपरेशन किया, जिससे महिला व नवजात शिशु की मृत्यु हो गयी।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 192/2025 धारा 105 बीएनएस व 34 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधि0 2019

गिरफ्तार अभियुक्त-
सैयद मु0 सलमान पुत्र जमाल अहमद साकिन बकडीहा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1-प्रभारी निरीक्षक श्री हर्षवर्धन सिंह थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 श्री शशांक राय थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
3-हे0का0 हीरा सिंह थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
4-का0 इन्द्रभान यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-*
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 46 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-56 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-43, व्यक्ति-132
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(10)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-56)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

Edit with WPS Office